रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092025-266087 CG-DL-E-11092025-266087

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 579]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 11, 2025/भाद्र 20, 1947 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 11, 2025/BHADRA 20, 1947

No. 579]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2025

सं. 03/2025- स्वापक नियंत्रण-1

सा.का.नि. 623(अ).— स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, दिनांक 1 अक्तूबर, 2025 को आरंभ होने वाले और 30 सितम्बर, 2026 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से पोस्त भूस, जिससे लैंसिंग के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला जाता है, के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस जारी रखने और लाइसेंस प्रदान करने की मंजूरी हेतु नीचे विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तों को अधिसूचित करती है:-

1. खेती करने का स्थान

किसी भी ऐसे भूखंड में पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए।

6065 GI/2025 (1)

2. खेती हेतु पात्रता

इस अधिसूचना के खण्ड 3 और 8 के अधीन रहते हुए निम्निलिखित किसान (उनके कानूनी बारिस सिहत) पोस्त भूस, जिससे लैंसिंग के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला जाता है, के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस हेतु पात्र होंगे:

- (i) वे किसान जिन्होंने उनको जारी किए गए लाइसेंसों के आधार पर फसल वर्ष 2024-25 के दौरान पोस्त भूस, जिससे लैंसिंग के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला जाता है, के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती की थी और उन्होंने मापन केंद्र पर 800 किग्रा प्रति हेक्टेयर अथवा उससे अधिक बिना लांस किए गए पोस्त भूस की औसत उपज को जमा भी करा दिया था और जिन्हें इस अफीम नीति के पैरा 5(ii) में उल्लिखित किसी भी आधार पर अफीम पोस्त की खेती से रोका नहीं गया है।
 - टिप्पणीः किसानों को जिन्होंने फसल वर्ष 2024-25 के दौरान 800 किग्रा. प्रति हेक्टेयर के नीचे बिना लांस किए गए पोस्त भूस की औसत उपज प्रस्तुत की है, फसल वर्ष 2025-26 के दौरान अफ़ीम पोस्त की खेती से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालाँकि, उनके पास अगले फसल वर्ष के लिए लाइसेंस बना रहेगा और वे उस वर्ष की नीति द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन खेती के लिए पात्र होंगे।
- (ii) वे किसान जिनके लाइसेंस फसल वर्ष 2023-24 के दौरान प्रति हेक्टेयर 675 किलोग्राम से कम बिना लैंस किए हुए पोस्ता भूसे की औसत उपज देने के कारण, फसल वर्ष 2024-25 के लिए निलंबित कर दिए गए थे, वे अन्य पात्रता शर्तों के अधीन वर्ष 2025-26 के लिए लाइसेंस के लिए पात्र होंगे।
- (iii) वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2024-25 में लांसिंग के माध्यम से अफीम गोंद प्राप्त करने के लिए मार्फीन की औसत उपज (MQY-M) 3.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या इससे अधिक लेकिन 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम जमा कराई हो।
- (iv) वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2024-25 के दौरान प्रति हेक्टेयर 900 किलोग्राम या इससे अधिक बिना लांस किए गए पोस्त भूसा प्रस्तुत किया है, यदि वे फसल वर्ष 2025-26 के लिए अफीम गोंद के उत्पादन हेतु अफीम की खेती के लिए सामान्य लाइसेंसिंग शर्तों के अनुसार अफीम गोंद का विकल्प नहीं चुनते हैं और स्वेच्छा से पोस्त भूसा के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती जारी रखना चाहते हैं, जिसमें से लैंसिंग के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला जाता है।
- (v) वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2023-24 और 2024-25 में अपनी सम्पूर्ण खड़ी पोस्त फसल की इस बारे में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार तथा केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की निगरानी में जुताई करा दी हो, किन्तु वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी पूरी पोस्त फसल न जुतवाई हो।
- (vi) वे किसान जोकि फसल वर्ष 2024-25 में लाइसेन्स पाने के पात्र थे लेकिन किसी कारण से वे लाइसेन्स प्राप्त नहीं कर पाये या जिन्होने लाइसेन्स जारी होने के बाद भी किसी कारण से अफीम की खेती वास्तव में नहीं की थी।
- (vii) जिन किसानों की फसल वर्ष 2024-25 में निपटान की अंतिम तिथि के उपरान्त लाइसेंस की मनाही के उपरान्त अपील की अनुमति दे दी गई है।
- (viii) जिन किसानों को 1995-96 से एनडीपीएस अधिनियम, 1985 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायायल में दोष/दोषों के आधार पर लाइसेंस रद्द कर दिया गया था बशर्ते उन्हें उक्त मामले अथवा मामलों में सक्षम विधि न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया हो तथा दोष मुक्ति के ऐसे आदेश इस संबंध में निर्णय तथा घोषणा की प्रमाणित प्रति के अधीन 31 जुलाई, 2025 को अंतिम निर्णित कर दिया गया है।
- (ix) वे किसान जो फसल वर्ष 2024-25 के लिए फॉर्म नंबर 1 (नियम 7 देखें) के कॉलम संख्या 11 में मृत पात्र किसान द्वारा नामांकित है।

- (x) समुचित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् जिला अफीम अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित मृतक पात्र किसानों के कानूनी वारिसों में से एक को उन मामलों में जहां किसी कारणवश प्रपत्र सं. 1 में नामांकन नहीं किया जाता है अथवा प्रपत्र संख्या 1 में परिवार सदस्य/रक्त संबधियों की परिभाषा के अतंर्गत व्यक्ति का नामांकन नहीं आता है।
- (xi) किसानों जिनमें उनके कानूनी वारिस शामिल हैं जिन्हें फसल वर्ष 1995-96 से आगे कभी लाइसेंस दिया गया था किंतु किन्हीं कारणवश लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं।

3. लाइसेंस की शर्तें

किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करता हो/करती हो:

- (i) उसने फसल वर्ष 2024-25 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसशुदा वास्तविक क्षेत्र से लाइसेंस नीति में अनुमत 5% 'क्षम्य क्षेत्र' से अधिक क्षेत्र में खेती न की हो।
- (ii) उसने कभी भी अफीम पोस्त की अवैध खेती न की हो तथा स्वापक औषिध तथा मन:प्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं सिद्ध किया गया हो, बशर्ते सक्षम विधि न्यायालय द्वारा उन्हें 31 जुलाई, 2025 तक दोष मुक्त न कर दिया गया हो।
- (iii) फसल वर्ष 2024-25 के दौरान उसने केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो/नार्कोटिक्स आयुक्त द्वारा किसानों को जारी किन्हीं विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया हो|

4. अधिकतम क्षेत्र

- (i) उपर्युक्त खंड 2 के अंतर्गत सभी पात्र किसानों में से प्रत्येक को 0.05 हेक्टेयर के लिए लाइसेन्स दिया जायेगा तथा केवल एक भू-खंड पर। यह भूखंड एक से अधिक राजस्व खसरा नंबरों पर फैला हुआ हो सकता है।
- (ii) यदि किसान चाहें तो उनको दूसरों के स्वामित्व वाले भूखंडो को पट्टे पर लेने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि उतनी जमीन पर खेती कर सकें जितने के लिए लाइसेंस दिया गया है।

लाइसेन्स की अवधि

- (i) ऐसे किसानों को जो प्रथम बार पोस्त भूसा जिससे लैंसिंग के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला जाता है, के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए पात्र हो गए हैं, को पांच फसल वर्ष के लिए लाइसेंस जारी किये जायेंगे अर्थात् फसल वर्ष 2025-26 के लिए किसानों को जारी किया गया लाइसेंस फसल वर्ष 2029-30 तक प्रभावी रहेगा।
- (ii) पांच वर्षों के लिए जारी किया गया लाइसेंस निश्चित अवधि तक लागू रहेगा जब तक किसान:
 - क. अवैध क्रियाकलापों में लिप्त नहीं पाया जाता है,
 - ख. एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत किसान को आरोप-पत्र नहीं दे दिया जाता है,
 - ग. उसने अफीम पोस्त की खेती के बारे में विभागीय दिशा-निर्देशों का उल्लंघन न किया हो।
 - घ. स्वेच्छा से अपना लाइसेंस संबंधित जिला अफीम अधिकारी के समक्ष को वापस कर दिया हो।

6. पूर्व चेतावनी

- (i) वर्ष 2025-26 के दौरान दी गई अफीम-भूसे में मार्फीन की मात्रा को फसल वर्ष 2025-26 के भुगतान का आधार माना जा सकता है, यदि सरकार इस बारे में निर्णय ले।
- (ii) जिन किसानों ने लगातार तीन फसल वर्षों तक अपनी फसल की जोताई करा दी हो, अगले फसल वर्ष के लिये लाइसेंस के पात्र नहीं होंगे।

(iii) अगले वर्ष यानी 2026-27 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस हेतु पात्र होने के लिए फसल वर्ष 2025-26 के दौरान भूसे के साथ अन-लांस्ड पोस्त कैप्सूल की प्रति हेक्टेयर 900 किलोग्राम औसत उपज हासिल की जानी चाहिए।

7. माफी योग्य सीमा

यदि खेती किया गया वास्तविक क्षेत्र लाइसेंसशुदा क्षेत्र से 5 प्रतिशत तक अधिक है तो ऐसा अधिक क्षेत्र क्षम्य हो सकता है।

8. विविध

- (i) फसल वर्ष 2025-26 के दौरान बिना लांस किए पोस्त भूस के उत्पादन हेतु अफीम पोस्त की खेती हेतु लाइसेंस के निर्गम हेतु पात्र किसान जो पांच वर्ष के लाइसेंस धारक नहीं हैं आवेदन प्रपत्र संख्या 1 में भू-खंड, भू-खंड की सर्वेक्षण संख्या आदि के ब्यौरे प्रदान करेंगे जिनमें वे अफीम पोस्त की फसल की खेती करने का इरादा रख रहे हैं तथा स्वापक आयुक्त द्वारा यथा निदेशित अन्य ब्यौरे भी प्रस्तुत करेंगे।
- (ii) इन सामान्य लाइसेंसिंग शर्तों से नार्कोटिक्स आयुक्त/नार्कोटिक्स उपायुक्त के किसी भी लाइसेंस को जारी करने/उसे रोकने के अधिकार को उस स्थिति में कोई क्षति नहीं पहुंचती जब कभी स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसा करना ठीक समझा जाए।
- (iii) लाइसेंस इस शर्त पर दिया जाएगा कि किसी भी खेत को सरकार द्वारा अथवा सरकार द्वारा विशिष्ट संस्था अथवा एजेंसी के साथ सहयोग करके किये जाने वाले अनुसंधान के प्रयोजनार्थ अधिग्रहित किया जा सकता है। जिस किसान के खेतों को अनुसंधान के लिए चुना जाएगा उसका अगले वर्ष लाइसेंस मंजूर करने पर विचार किया जाएगा बशर्ते उसने निर्धारित न्यूनतम अर्हक उपज प्रस्तुत की हो और वह अन्यथा पात्र हो। अनुसंधान हेतु चुने गए क्षेत्र को उपज की गणना करते समय लेखे में नहीं लिया जाएगा।
- (iv) जिन किसानों ने अपने उत्पादित अन-लांस्ड पोस्ता कैप्सूल को भूसे के साथ सरकार को सौंप दिया है, उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित भूसे के साथ अन-लांस्ड पोस्त कैप्सूल की प्रति किलोग्राम कीमत के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
- (v) ऐसे किसान जिनका किसी विशेष गांव में अफीम की खेती का लाइसेंस है लेकिन वे पास के लगे दूसरे गांव के निवासी हैं तो उन्हें अपने आवास पर अन-लांस्ड पोस्त भूस को इकटट्ठा करने की अनुमित होगी बशर्ते कि ऐसी मानव बस्ती और गांव के बीच लगातार आना-जाना होता हो।
- (vi) पात्र किसानों के नाम सीबीएन वेबसाइट (cbn.nic.in) तथा/अथवा सीबीएन ऑनलाइन पोर्टल (cbnonline.nic.in) पर अपलोड किया जायेगा तथा दिए गए मोबाइल नं., मेल आदि पर संदेश जैसे अन्य साधनों के माध्यम से संसूचित किया जायेगा। पात्रता सूची में सूचीबद्ध किसान विहित समय सीमा के भीतर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सीबीएन ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन तरीके के जरिये आवेदन करेंगे।
- (vii) मौजूदा लाइसेंसधारियों को ऐसे कागजात जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी जिसकी जानकारी सीबीएन के पास पहले से ही है। पिछले वर्ष से किसी भी परिवर्तन के मामले में जानकारी प्रदान की जाएगी।
- (viii) यदि अफीम की नीति 2025-26 के हिन्दी के संस्करणों में विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी संस्करण ही अधिमान्य होगा।

[फा. सं. एन-14011/03/2025-एनसी-1]

राम लखन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2025

No. 03/2025-Narcotics Control-1

G.S.R. 623(E).— In pursuance of rule 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby notifies the general conditions for eligibility to continue cultivation for licensees and grant of license specified below for cultivation of opium poppy for production of Poppy Straw from which no juice is extracted through lancing on account of the Central Government during the Opium Crop Year commencing on the 1st day of October, 2025 and ending with the 30th day of September, 2026:-

1. Place of Cultivation

Opium poppy cultivation may be licensed in any tract as may be notified in this behalf by the Central Government.

2. Eligibility for Cultivation

Subject to clauses 3 and 8 of this notification, the following cultivators (including their legal heirs) shall be eligible for a license to cultivate opium poppy for production of Poppy Straw from which no juice is extracted through lancing:

- (i) Cultivators who, on the basis of licenses issued to them, had cultivated opium poppy for production of Poppy Straw from which no juice is extracted through lancing during the crop year 2024-25 and have tendered an average yield of un-lanced poppy straw 800 kgs per Hectare or above at weighment center and have not been debarred from cultivation of opium poppy on any of the ground mentioned in Para 5(ii) of this opium policy.
 - **Note**: Cultivators who have tendered an average yield of un-lanced poppy straw below 800 kgs per Hectare during crop year 2024-25 are suspended from opium poppy cultivation during crop year 2025-26. However, they will continue to hold license for next crop year and will be eligible for cultivation subject to the conditions imposed by policy of that year.
- (ii) Cultivators whose licenses were suspended for the crop year 2024-25 on account of tendering an average yield of un-lanced poppy straw below 675 kg per hectare during crop year 2023-24, would be eligible for licensing for the year 2025-26 subject to the other eligibility conditions.
- (iii) Cultivators who have tendered an average yield of Morphine (MQY-M) 3.0 kg per hectare and above but less than 4.2 kg per hectare from the opium poppy cultivated for obtaining opium gum through lancing in crop year 2024-25.
- (iv) Cultivators who have tendered un-lanced poppy straw 900 kg per hectare or more during crop year 2024-25, if they do not opt for opium gum as per the general licensing conditions for opium cultivation for production of opium gum for crop year 2025-26 and voluntarily want to continue cultivation of opium poppy for production of poppy straw from which no juice is extracted through lancing.
- (v) Cultivators who ploughed back their entire poppy crop, cultivated during the crop year 2023-24 and 2024-25 under the supervision of the Central Bureau of Narcotics in accordance with the provisions in this regard, but had not similarly ploughed back their entire poppy crop during 2022-23.
- (vi) Cultivators who were eligible for a license for the crop year 2024-25, but did not obtain a license for any reason, or who after having obtained a license, did not actually cultivate opium poppy due to any reason.
- (vii) Cultivators whose appeal against refusal of License has been allowed after the last date of settlement in the crop year 2024-25.
- (viii) Cultivators who were de-licensed on the ground of charge/ charges in any competent court for any offence under NDPS Act, 1985 and the Rules made thereunder since 1995-96 provided that they have been acquitted by the competent court of Law in said case/ cases and such order/orders of acquittal has become final as on 31st July 2025, subject to production of certified copy of judgment and declaration to this effect.
- (ix) Cultivator who is nominated by deceased eligible cultivator in column No. 11 in Form No. 1 (see rule 7) for the crop year 2024-25.

- (X) One of legal heirs of deceased eligible cultivators as determined by the District Opium Officer after following the due process, in the cases where nomination in Form No.1 is not made for any reason or nomination of person not falling under definition of family members/ blood relatives in Form No. 1 is made.
- (xi) Cultivators including their legal heirs who were ever licensed since crop year 1995-96 onwards but have not been issued licenses due to any reason.

3. Conditions of License

No cultivator shall be granted license unless he/she satisfies that:

- (i) He/she did not, in the course of actual cultivation, exceeded the area licensed for poppy cultivation during the crop year 2024-25 beyond the 5% 'Condonable Limit' allowed in the licensing policy.
- (ii) He/she did not at any time resort to illicit cultivation of opium poppy and was not charged in any competent court for any offence under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, and the Rules made thereunder provided they have not been acquitted by the competent court of law latest by 31st July 2025.
- (iii) He/she did not, during the crop year 2024-25, violate any departmental instructions issued by the Central Bureau of Narcotics/ Narcotics Commissioner to the cultivators.

4. Maximum Area

- (i) All eligible cultivators under clause 2 above will be issued license of 0.05 hectare each and in one plot only. This plot may be spread across more than one revenue khasra numbers.
- (ii) Cultivators will be permitted to take on lease, land belonging to others, to make up the licensed area, if they so desire.

5. Period of license

- (i) The cultivators who have become eligible to cultivate opium poppy for production of Poppy Straw from which no juice is extracted through lancing for the first time in this policy, licenses will be issued to them for five crop years, i.e. license issued to the cultivators for crop year 2025-26 will remain effective till crop year 2029-30.
- (ii) License issued for five years will remain in force for the given period until the cultivator:
 - a. is found involved in illicit activities,
 - b. is charge sheeted under NDPS act,
 - c. violated the departmental instructions related to opium poppy cultivation;
 - d. voluntarily surrendered his/her license before the concerned District Opium Officer.

6. Forewarning

- (i) Morphine content of Un-lanced Poppy Straw tendered during 2025-26 may become the basis for payment for the crop year 2025-26, if the Government decides to do so in this regard.
- (ii) Cultivators who fully ploughed back their entire poppy crop for consecutive three crop years would not be entitled for license in the next crop year.
- (iii) An average yield of 900 kg per hectare of un-lanced poppy capsule alongwith straw should be achieved during the crop year 2025-26 to become eligible for a license to cultivate opium poppy in the following year, i.e. 2026-27.

7. Condonable Limit

If the area actually cultivated is up to 5% in excess of the licensed area, such excess cultivation may be condoned.

8. Miscellaneous

(i) The cultivators who are becoming eligible for issue of license under this year's policy for opium poppy cultivation and are not holder of five year license, for production of Unlanced Poppy Straw during the Crop Year 2025-26 shall provide in the Application Form No. 1, the details of owner of the plot, survey number etc. of the plot in which they are intending to cultivate opium poppy crop as well as any other details as may be suitably and reasonably notified by the Narcotics Commissioner.

- (ii) These General Licensing Conditions are without prejudice to the right of the Narcotics Commissioner/ Deputy Narcotics Commissioner to issue/withhold a license whenever it is deemed proper to do so in accordance with the provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the Rules made thereunder.
- (iii) The license will be subject to the condition that any field may be taken over for any research or for obtaining poppy straw that may be conducted by the Government directly or in collaboration with any specialized Institution or Agency. The cultivator whose field is selected for research shall be considered for license for the next year if otherwise eligible. The area taken over for research will not be taken into account while calculating the yield.
- (iv) Payment to the cultivators who have tendered their produced un-lanced poppy straw to the government shall be made in accordance with the price per kgs of un-lanced poppy straw as determined by the Government of India.
- (v) In respect of cultivators having opium cultivation license in a particular village but are having residence in adjacent village, such cultivators may be allowed to store Un-lanced Poppy Straw in their residence, provided that there is continuous human settlement between such villages.
- (vi) The name of eligible cultivators will be uploaded on CBN website (cbn.nic.in) and/or CBN online portal (cbnonline.nic.in) and may be communicated through other means like messages on given mobile number, mails etc. The cultivators listed in the eligibility list shall apply through online mode on CBN Online Portal for obtaining license within the stipulated timeline.
- (vii) Existing licensees shall not be required to submit paper for which information is already with CBN. Information will be provided in case of any changes from previous year.
- (viii) If there is difference in any para of Hindi version of opium policy 2025-26 then English version of same shall be followed.

[F. No. N-14011/03/2025-NC-1] RAM LAKHAN, Under Secy.